FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

धर्माराम वगैरा बनाम हुकमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा [illegible] आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 27 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2/20	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रेवताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/2/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/2/2020	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अन्तिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ। लिहाजा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/3/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:17:15 IST
Reason: SelfAttested

3.3.2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत साथ-साथ आए हुए हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों पर पुरानी मांदे एवं कांठे बने हुए थे वह वर्तमान में बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी आबिया की वजह से प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खेती कर लेते हैं जिससे पक्षकारों के बीच तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की मेंढबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मेंढबंदी आवेदन स्वीकार कर मेंढबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का मेंढबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर एवं सम्बन्धित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पक्की मेंढबंदी मौके पर नियमानुसार कमीशन शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
3.3.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:17:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 212 दिनांकः– 3/3/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. धर्माराम पुत्र लाभुराम जाति जाट वगैरा निवासी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. हुकमाराम पुत्र पदमाराम वगैरा जाति जाट निवासी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 27 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बाटाडू पटवार हल्का बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1782 / 1340 रकबा 85.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500 /– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमाक / वाद / 2020 / 213-17 दिनांकः– 3/3/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री धर्माराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण हुकमाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना गिड़ा

3.3.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:17:15 IST
Reason: SelfAttested